न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 147/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थी – 1. हसन पुत्र उमेद अली,
जाति मुसलमान
निवासी जैसार, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. सुभान पुत्र उमेद अली
जाति मुसलमान
निवासी जैसार, तहसील चौहटन
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री हुकमसिंह गोदारा
विप्रार्थीगण वकील –

निर्णय

दिनांक :– 23.11.2021

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत मौजा जैसार, तहसील चौहटन में खसरा सं. 233/4 रकबा 82.00 बीघा एवं खसरा सं. 281/77 रकबा 34.09 बीघा के आये हुए है। प्रार्थी के सेढ़ा सेढ़ विप्रार्थी सं. 01 की खातेदारी का खेत खसरा सं. 232/4 रकबा 82.00 बीघा एवं खसरा सं. 280/77 रकबा 34.09 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 [illegible] के जाईन्दा पुत्र है। पक्षकारों के मध्य आपसी रजामंदी अनुसार बं[illegible] गया था तथा विभाजन के पारित नामान्तरकरण की पुश्त [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:46:33 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन हल्का पटवारी द्वारा नक्शा ट्रेस में [illegible]रा सं. 233/4 की [illegible] गलत करते हुए रकबा कम कर दिया एवं विप्रार्थी सं. 1 के खसरा सं. 232/4 की तरमीम नामान्तरकरण

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

की पुश्त पर अंकित तरमीम से भिन्न कर दी। जिसे प्रार्थी दुरस्त करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु यह आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के केम्प जैसार में पेश हुई । प्रार्थी वकील एवं उभयपक्ष उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन ने तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट तैयार कर कैम्प में पेश की । प्रार्थी वकील एवं उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष ने तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए निवेदन किया गया कि तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्ष को तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट स्वीकार है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा जैसार, तहसील चौहटन में खसरा सं. 233/4 रकबा 82.00 बीघा एवं खसरा सं. 232/4 रकबा 82.00 बीघा भूमि की तरमीम तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में सलंग्न नक्शा अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के कैम्प जैसार में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:46:33 IST
Reason: SelfAttested

खाका - जोतान

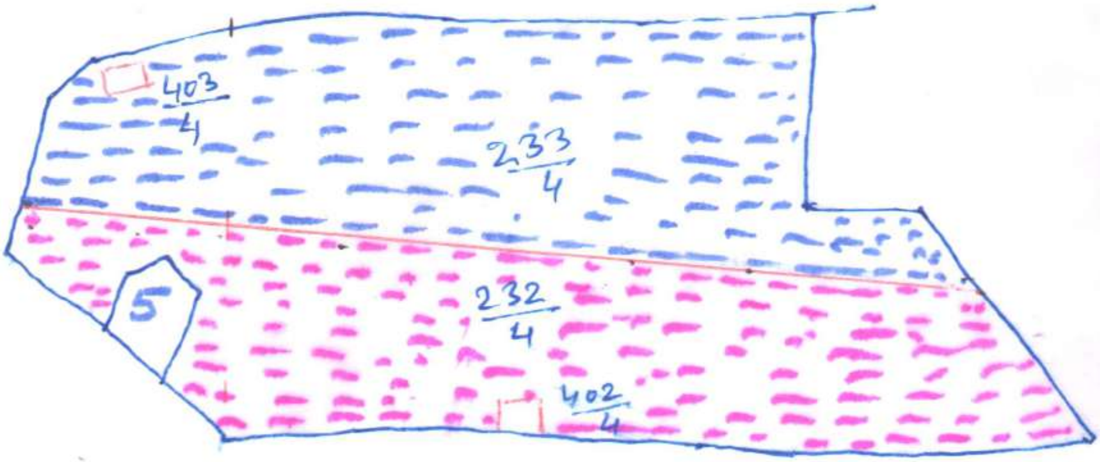

हसन पु. उमेदअली प्रार्थी — सुभान

सुभान पु. उमेदअली विप्रार्थी

Ex-Count

प. जैसार

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:46:33 IST
Reason: SelfAttested